न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर

पीठासीन अधिकारी–डॉ0सूरज सिंह नेगी

अपील संख्या 91/2020 तारीख रजू 16.09.2020

भागवता पुत्र शुखदेवा जाति गुर्जर निवासी मैदार खुर्द तहसील बौंली जिला स0मा0

--- अपीलार्थी

बनाम

सरकार जरिये क्षेत्रीय वन अधिकारी महोदय बौंली। ----- रेस्पो0

निर्णय

दिनांक 15/3/22

अपीलाण्ट ने न्यायालय सहायक वन संरक्षक स0मा0 द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22/05/2020 मु0न0 37/14 उनवानी सरकार बनाम भागवता अन्तर्गत धारा 91 एल आर एक्ट के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 75 एल आर एक्ट में अपील प्रस्तुत की जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि विवदित भूमि साविक ख0न0 27 में से रकवा 15 वीघा कृषि भूमि राजस्व ग्राम मेदार तहसील बौंली में दिनांक 11/1/64 को आवंटित हुई थी, तभी से आवंटित भूमि पर अपीलाण्ट का भौतिक कब्जा चला आ रहा है। विवदित भूमि हाल ख0न. 335,337 कुल रकबा 1.25 है0 हाल राजस्व रिकार्ड में वन विभाग के नाम से दर्ज है। अपीलान्ट को भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत उक्त स्थल पर अतिचारी घोषित किया जाकर उक्त स्थल से बेदखल किये जाने के आदेश प्रसारित किये गये है तथा शास्ति अधिरोपित की गई है।

उक्त प्रकरण की अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट को नोटिस जारी करने के बाद अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलव होने पर उभय पक्षों के अधिवक्तागणों की बहस सुनी गई।

अपीलाण्ट वकील ने बहस में तर्क दिया कि प्रार्थी को साविक खसरा नम्बर 27 मिन वाके ग्रम मेदार खुर्द में आवंटन 11/11/1964 को किया गया था जिसके पूर्व से ही अपीलान्ट एवं उसके पूर्वजो का कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा आवंटन के पश्चात इस भूमि पर काफी पैसा खर्च कर इस भूमि को कृषि [illegible] अपीलान्ट ने उक्त आराजी मे विद्युत कनेक्शन ले रखा है तथा बाड़े का निर्माण [illegible] तथा उक्त अराजीयात पर अपीलान्ट 50 वर्ष पूर्व से कब्जा काश्त है। [illegible] ने तर्क दिया की आराजीयात को लेकर अपीलान्ट एवं रेसपोंडेंट के [illegible] कलेक्टर महो[illegible]ली के यहां वाद पत्र लम्बित है पूर्व में माननीय न्यायालय [illegible] साहब बौंली द्वारा मु0[illegible]/14 में दिनांक 4–6–2015 को आदेश पारित किया था। जिसकी अपील माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी महोदय सवाई माधोपुर के यहां प्रस्तुत हुई थी। जिसमें दिनांक 22–02–2016 को उभय पक्षों की बहस सुनी जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 04–06–2015 को निरस्त किया जाकर इस आशय के साथा रिमाण्ड किया गया था कि अपीलान्ट के पिता को दिनांक 11/01/1964 को किये गये आवंटन में कब्जा संभलाने की रिपोर्ट में उन्हें किस भू भाग पर कब्जा संभलाया

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:52:02 IST
Reason: SelfAttested

गया था। तथा वन विभाग को दिनांक 4/10/1967 को किया गया आवंटन किस भू भाग पर किया गया। तथा सेटलमेंट विभाग द्वारा जो नवीन खसरा नम्बर कायम किये गये है उनके हाल व साबिक पर विचार कर तथा गवाहों की साक्ष्यों पर विचार कर पुनः निर्णय पारित करें। अन्त में वकील अपीलान्ट ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22/05/2020 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया।

वकील पेराकार सरकार द्वारा वकील अपीलान्ट द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुये बहस में तर्क दिया गया है कि अपीलान्ट द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया है तथा वन प्रसार अधिकरी की रिपोर्ट भी अदालत मातहत की पत्रावली में सलंग्न है जिससे साबित होता है कि अपीलान्ट ने उक्त आराजी खसरा न0 335,337 पर कब्जा कर रखा है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई अवैधानिकता नहीं होने से अपीलान्ट की अपील खारिज की जावें।

पत्रावली में उपलब्ध राजस्व अभिलेख का गहनता से अवलोकन किया गया। अपीलाण्ट द्वारा सक्षम राजस्व न्यायालय में विचाराधीन वाद पत्र की फोटो प्रति एवं राजस्व अपील अधिकारी स0मा0 के निर्णय दिनांक 22/2/16 की फोटो प्रति प्रस्तुत की जिससे यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि से सम्बन्धित घोषणा एवं दुरूस्ती इन्द्राज का प्रकरण 26/9/14 से विचाराधीन है। इससे स्पष्ट है कि अपीलाण्ट ने विवादित भूमि की दुरूस्ती हेतु वाद पत्र प्रस्तुत कर रखा है। अधिनस्थ नयायालय ने विवादित भूमि की सीमाज्ञान रिपोर्ट भी प्रस्तुत नही की है। जबकी साविक ख0न0 27 का कुल रकवा 600 बीघा हाने के कारण भू प्रबन्ध विभाग द्वारा मुताविक कब्जा तरमीम नहीं किये जाने के कारण भी विवाद सम्भव है। ऐसी स्थिति में पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का गहनता से अवलोकन करने के पश्चात अपील अपीलाण्ट स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 22/05/2020 को अपास्त किया जाकर पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश का साथ रिमाण्ड की जाती है कि विवादित भूमि ख0न0 335,337 कुल किता 2 कुल रकवा 1.25 है0 एवं अपीलाण्ट के नाम से दर्ज कृषि भूमि साविक खसरा नम्बर 27 कुल रकबा 15 बीघा की उभयपक्षों की उपस्थिति में राजस्व विभाग द्वारा मौके की तथ्यात्मक रिपोर्ट तलव कर पुन निर्णय पारित करे। निर्णय आज दिनांक 15/3/22 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया । निर्णय की एक प्रति अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ संलग्न की जाकर भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ0सूरज सिंह नेगी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:52:02 IST
Reason: SelfAttested